

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मं.गा.प्रकोष्ठ/66174/ वॉक इन इन्टरव्यू/2023-24/ दिनांक 01.10.2023 की पालना में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन हेतु नियम-9 (ख) में उल्लेखित अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत निम्नलिखित अध्यापक लेवल-द्वितीय अंग्रेजी (अधिसूचित क्षेत्र) के कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयनित किये जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद (अधिसूचित क्षेत्र) पर पदस्थापित किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 06.10.2023 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

| क0स0 | कर्मचारी आईडी | नाम कार्मिक | पद | विषय | वर्तमान पदस्थापन स्थान | जिला | चयन उपरान्त पदस्थापित स्थान | जिला |
|------|------------------|-------------|-----------------|---------|---|--------|--|--------|
| 1 | RJSR200734009907 | LATA PATEL | Teacher Level-2 | English | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SIYAWA (213883) | SIROHI | MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL AMTHALA (213897) | SIROHI |

शर्तें :-

- उपरोक्त कार्मिकों को एक वर्ष की अवधि हेतु पदस्थापित किया जाता है, कार्मिक के सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी कार्मिक को पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसा सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, नियुक्त (Relieve) करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों के चयन के पश्चात् मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति होती है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता इनके मूल पदस्थापित जिला/मण्डल में ही संरक्षित की जायेगी।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक परिवीक्षाधीन है तो उनका स्थायीकरण, उनके मूल जिले में जारी किया जावेगा।
- यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित/विचाराधीन है तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त कार्मिकों को शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर निगम) हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- एकल शिक्षक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक का चयन होने पर, उक्त विद्यालय में अन्य शिक्षक के कार्यग्रहण करने पर ही चयनित शिक्षक को पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- उपरोक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (S.V.M.S. सहित) में साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- उपरोक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित सहमति पत्र प्राप्त किया जावे :- "मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है, यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं "आवेदन की शर्तें व दिशा-निर्देशों" एवं "सेवा की अन्य शर्तें" मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

(गंगा कलावंत)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

दिनांक :-04.10.2023

क्रमांक: जिशिअ/मा/सि/संस्था-2/2023/344

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- संबन्धित संस्था प्रधान/पीईईओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- संबन्धित कार्मिक

Signature valid

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

Digitally signed by Ganga Kalawant
Designation: District Education
Officer

Date: 2023.10.04 11:38:45 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4844727

